सं0 7(73 (/संस्था-111(क(/98

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

(संस्था-111 क शाखा(

* * * * *

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर, 98

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन(नियमावली, 1997 - दक्षता रोध के संबंध में स्पष्टीकरण ।

कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा उन रीतियों (तौर-तरीकों(के बारे में शंकाएं जाहिर की गई हैं जिनसे पूर्व संशोधित वेतनमान में दक्षतारोध पार करने के लिए अनुपयुक्त समझे गए तथा 1.1.1996 को यथाविद्यमान दक्षता रोध अवस्था पर वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण से संबंधित मामलों को नियमित किया जाना है। उन सरकारी कर्मचारियों के वेतन के नियतन के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगे गए हैं जिन्हें प्रशासनिक कारणों की वजह से पूर्व संशोधित वेतनमानों में दक्षतारोध को पार करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में संशोधित वेतनमानों में वेतन का नियतन नीचे दिए के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है :-

(क(उन सरकारी कर्मचारियों जो कि 1.1.1996 से पहले यथाविद्यमान पूर्व संशोधित वेतनमान में दक्षतारोध पार करने के लिए अनुपयुक्त समझे गए थे, का वेतन यथा लागू संशोधित वेतनमान में संशोधन पूर्व वेतनमान में उक्त दक्षतारोध के ठीक पहले की अवस्था और संशोधित वेतनमान में लागू अनुवर्ती वार्षिक वेतनवृद्धि के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है। तथापि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलों में इस विषय पर दिए गए निर्देश के अनुसार समीक्षा के लिए अपनी-अपनी विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष रखा जा सकता है । इस समीक्षा के आधार पर दक्षतारोध को पार करने के लिए यदि संबंधित सरकारी कर्मचारी उपयुक्त पाया जाता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति के निर्णयानुसार प्रारम्भ में लागू पूर्व संशोधित वेतनमान में और उसके पश्चात चल रहे संशोधित वेतनमान में किया जा सकता है । तथापि, यदि संबंधित सरकारी कर्मचारी ऐसी समीक्षा के पश्चात भी दक्षतारोध पार करने के उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो तदन्तर इस प्रकार की समीक्षा की जाने आवश्यकता नहीं है।

(ख) ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी 1.1.1996 से पूर्व दक्षतारोध स्तर तक पहुंच जाता है तथा प्रशासनिक कारणों से उसके मामले पर निर्णय नहीं किया गया है तो सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार कर सकता है कि क्या कर्मचारी उस तारीख से दक्षता-रोध पार करने के लिए उपयुक्त था अथवा अनुपयुक्त था । सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर मामले का नियमन किया जा सकता है । इसके पश्चात उसका वेतन 1.1.1996 से मिलने वाले वेतन के संदर्भ में वेतन के संशोधित वेतनमान में नियत और तदन्तर वार्षिक वेतनवृद्धियां जारी की जा सकती हैं ।

2. ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने पूर्व संशोधित वेतनमान रखने का विकल्प चुना है, के लिए दक्षतारोध, यदि कोई हो, 1.1.1996 से समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

3. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है इन स्पष्टीकरण आदेशों को भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षा के विचार विमर्श के पश्चात जारी किया जा रहा है ।

(बी0 कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
(अतिरिक्त प्रतियों सहित मानक डाक सूची के अनुसार) ।